न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी :ओ.पी. बुनकरI.A.S.

प्रकरण संख्या –02/2021 (आव0व0अधि0)

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

––प्रार्थी

बनाम

श्री प्रदीप कुमार नागर सहायक व्यवस्थापक, साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति माईकलां तहसील सांगोद, जि़ला कोटा

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 27.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अदिति जगवाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि जिला रसद अधिकारी कोटा के साथ दिनांक 3.2.2021 को तहसील क्षैत्र सांगोद भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकान निरीक्षण के क्रम मे साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति माईकलां एफपीएस 6886 ग्राम पंचायत माईकलां मौके पर पहुंचे मौके पर सहायक व्यवस्थापक श्री प्रदीप कुमार नागर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया एवं पोस मशीन पर दर्ज स्टॉक एवं उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर रिकार्ड अनुसार 101.00 क्विं0 गेहूं के स्थान पर 110.00 क्विं. गेहूं का स्टॉक मौके पर उपलब्ध पाया गया । इस प्रकार स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर उचित मूल्य दुकान पर 9.00 क्विं0 गेहूं अधिक पाया गया । जिसके संबंध मे पूछताछ करने पर सहायक व्यवस्थापक श्री प्रदीप कुमार नागर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर उक्त कुल 9.00 क्वि0 गेहूं जिनकी बाजार भाव से कीमत 1600 रू0 प्रति क्विंकी दर से 14,400/– होती है को सुरक्षित रखेंगे एवं सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर सही हालात में प्रस्तुत करेंगे । श्री प्रदीप कुमार नागर सहायक व्यवस्थापक साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति मोईकलां तहसील सांगोद द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के मूल खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,8,11 एवं 17 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्तशुदा कुल 9.00 क्वि0 गेहूं को राजसात करने एवं अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान फरमावें । गेहूं खराब होने वाली वस्तु होने के कारण धारा 6(ए) 2 के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी फरमावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से श्री अनुतोश नागर एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ, अप्रार्थी की ओर से जर्ये वकील प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । राजकीय अभिभाषक एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । वकील अप्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं प्रार्थी साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति में भौतिक सत्यापन पर स्टॉक में रेकार्ड के मुकाबले अधिक पाये गये गेहूं के सम्बन्ध में कोई सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु समिति व्यवस्थापक को दिये गये नोटिस के जवाब अनुसार 5.97 क्विं. का मशीन में अपडेशन नहीं होने से एवं 3.03 क्विंटल आंगनबाडी केन्द्र के गेहूं थे, जो उनके द्वारा उठाव नहीं करने से शेष होने से प्रार्थी का जवाब दिनांक 23.2.2021 के को उचित मानते हुए उक्त समिति को निलम्बन से बहाल आदेश कमांक/206 दिनांक 8.6.2021 से कर दिया जाने के कारण जब्तसुदा माल वापस समिति को लौटाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

4. अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि दिनांक 18.8.2020 को बिल सं0 8403 भारतीय खाद्य निगम कोटा से प्राप्त वास्तवित मात्रा जो संस्था को बिल के माध्यम से प्राप्त हुई थी वह समस्त मात्रा ऑनलाईन पोर्टल पर संस्था के स्टॉक में अपडेट नहीं हो पायी जिसमें 5.97 क्विंटल गेहूं मशीन में अपउेट नहीं हो पाये जो समिति में सुरक्षितरखे हुए थे, जिसकी जानकारी कार्यालय कर्मी श्री हेमूसूद को दे दी गई थी जिसका हेमूसूद ने मार्च पेटे समायोजन करना बताया था जो मार्च पेटा समायोजन हो गया है । आंगनबाडी कार्यकताटों को जो गेहू समिति द्वारा वितरण व्यवस्था की जाती थी, जिसके अन्तर्गत 3.03 क्विंटल गेहूं आंगनबाडी द्वितीय व तृतीय को वितरित कर दिये गये थे, किन्तु उपरोक्त गेहूं को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से समिति में से उठाव नहीं किया गया था जो समिति में सुरक्षित रखे हुए थे,समय पर व्यवस्थापक अवकाश में होने के कारण सहायक कर्मचारी पूर्ण तरह से नही बता पाया जिसका स्पष्टीकरण श्रीमान जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसके चलते प्रार्थी के विरूद्व उक्त कार्यवाही अमल में लायी गई है जो बेबुनियाद व खारिज किये जाने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी का कथन है कि साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति माईकलां में जिला रसद अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा दिनांक 3.2.2021 को समिति की जांच के दौरान रेकार्ड अनुसार 101.00 क्वि. गेहूं के स्थान पर 110.00 क्विं. गेहूं अर्थात 9.00 क्विं. गेहूं भौतिक सत्यापन पर रेकार्ड के मुकाबले अधिक पाया गया, जबकि भुगतान पोस मशीन के द्वारा किया जाता है । नियमानुसार स्टॉक से अधिक गेहूं नहीं होना चाहिए । प्रार्थी का कथन है कि भारतीय खाद्य निगम कोटा से प्राप्त वास्तवित मात्रा जो संस्था को बिल के माध्यम से प्राप्त हुई थी ऑनलाईन पोर्टल पर संस्था के स्ऑक में अपडेट नहीं हो पाई जिसमें 5.97 क्विं. गेहूं मशीन में अपडेट नहीं हो पाये जो समिति भें सुरक्षित रखे हुये थे, इसके अलावा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को गेहूं समिति

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

द्वारा वितरण किया जिसके अन्तर्गत 3.03 क्विं. गेहूं आंगनबाडी द्वितीय व तृतीय को वितरित कर दिये गये थे किन्तु उपरोक्त गेहूं को उनके द्वारा पूर्णरूप से समिति में से उठाव नहीं किया गया था जो समिति में सुरक्षित रखे हुए थे । जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा भी प्रार्थी के कथनों में सहमति प्रकट की गई है । इस प्रकार इस प्रकार उक्त अधिक गेहूं भौतिक सत्यापन पर 9.00 क्विंटल अधिक में से 5.97 क्विं0 जिसका समायोजन बाद में हो चुका है एवं 3.03 क्विं. गेहूं आंगनबाडी को लोटाए जाने है । इस प्रकार अप्रार्थी की त्रुटि गंभीर नहीं होने से तथा जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जब्तसुदा माल को वापस समिति को लौटाए जाने में सहमति प्रकट की जाने से जब्तसुदा माल 9.00 क्विं. गेहूं वापस साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति मोईकलां को लोटाया जाना उचित पाते है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा सीज्ड माल 9.00 क्विंटल गेहूं को अप्रार्थी को वापस सुपुर्द करने में सहमति के आधार पर जब्तसुदा माल 9.00 क्विंटन गेहूँ साधना ग्राम सेवा सहकारी समिति मोईकलां को वापस सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/2022

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा